सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक : जी० 1257/2025 दिनाङ्क : 10 अक्टूबर, 2025

कार्यालय-ज्ञाप

प्रदेश में संचालित अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में प्राचार्य / अध्यापकों / प्रवक्ता आदि के रिक्त पदों पर गतिमान विज्ञापन/नियुक्ति प्रकिया में एकरूपता एवं पारदर्शिता लाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक दिनांक 01.09.2025 के कार्यवृत्त एवं उक्त के क्रम में शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) उ0प्र0, शिक्षा सामान्य (2) विस्तार अनुभाग, प्रयागराज के पत्रांक सामान्य (2) विस्तार/10578/2025-26, दिनांक- 19 सितम्बर, 2025 द्वारा अधोलिखित निर्देश प्रदान किये गये हैं -

(1) सर्वप्रथम वर्तमान में प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/अध्यापक/प्रवक्ता आदि के रिक्त पदों पर गतिमान विज्ञापन/नियुक्ति प्रकिया/कार्यवाही के पूर्व सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों एवं स्वीकृत जनशक्ति/पदों/ रिक्त पदों की सूची तथा छात्र-शिक्षक अनुपात आदि का विधिवत मिलान माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा समयबद्ध रूप से कर लिया जाय।

(2) माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-9 के शासनादेश संख्या-315/15-9-98-25 (70)/98 दिनांक 21.04.1998 द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार सृजित / रिक्त पदों की परिपुष्टि आदि के पश्चात नियुक्ति की कार्यवाही का प्रावधान है। अतः उपर्युक्त बिन्दु (1) के अनुसार सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों एवं स्वीकृत जनशक्ति/ पदों / रिक्त पदों की सूची का मिलान माध्यमिक शिक्षा विभाग / निदेशालय द्वारा कर लिये जाने के उपरान्त ही सम्बन्धित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में नियमानुसार स्वीकृत जनशक्ति/सृजित / रिक्त पदों की परिपुष्टि आदि की कार्यवाही की जाय।

(3) उपर्युक्त शासनादेश संख्या-315/15-9-98-25(70)/98 दिनांक 21.04.1998 में वर्णित अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं में सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नियमानुसार सृजित / रिक्त पदों की परिपुष्टि आदि के पश्चात नियुक्ति की कार्यवाही सम्बन्धी प्रावधान / प्रकिया में सरलता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुनरीक्षण हेतु सम्यक प्रस्ताव तथा माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों में नियमानुसार स्वीकृत जनशक्ति / सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही / विज्ञापन आदि प्रक्रिया में एकरूपता के उद्देश्य से विज्ञापन आदि का मानक प्रारूप भी निर्धारित कर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

(4) अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत जिन संस्कृत महाविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन आदि की प्रक्रिया/कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है, उनके द्वारा प्रदेश में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अशासकीय सहायता प्राप्त प्रदेश के संस्कृत महाविद्यालयों एवं स्वीकृत जनशक्ति/पदों/रिक्त पदों की सूची तथा छात्र-शिक्षक अनुपात आदि का माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा समयबद्ध रूप से विधिवत मिलान एवं परीक्षण के उपरान्त ही इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही की जाय।

Scanned with OKEN Scanner

(5) उपर्युक्त समस्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में उच्च शिक्षा विभाग, उ॰प्र॰ शासन एवं सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के स्तर से सुसंगत आदेश/निर्देश निर्गत करने की कार्यवाही तत्काल की जाय।

अतः शासन के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध/मान्यता प्राप्त अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य/अध्यापक/प्रवक्ता आदि के रिक्त पदों पर गतिमान विज्ञापन/नियुक्ति प्रकिया/कार्यवाही शासन के अग्रिम आदेश प्राप्त होने तक स्थगित की जाती है। जिन संस्कृत महाविद्यालयों को विषय-विशेषज्ञ प्रदान कर दिया गया है, उन्ही महाविद्यालयों की नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस
कुलसचिव

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ ।
4. विशेष सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग-9, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. सहायक शिक्षा निदेशक (मा) उ॰प्र॰, सिविर कार्यालय, 18 पार्क रोड़ लखनऊ।
7. आशुलिपिक कुलसचिव।
8. अपर शिक्षा निदेशक, माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय, लखनऊ/प्रयागराज।
9. मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
10. उप शिक्षा निदेशक, संस्कृत प्रयागराज।
11. सचिव, उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद् जगत नारायण रोड़, लखनऊ।
12. समस्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
13. निरीक्षक संस्कृत पाठशालाएं, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
14. मण्डलीय उपनिरीक्षक, संस्कृत पाठशालाएं, समस्त मण्डल उत्तर प्रदेश।
15. सहायक कुलसचिव/अधीक्षक (सम्बद्धता)।
16. सिस्टम एनालिस्ट, संगणक केन्द्र, को इस आशय से प्रेषित की विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए समस्त अशासकीय सहायता प्राप्त संस्कृत महाविद्यालयों के ई-मेल पर सूचना प्रेषित करने हेतु।
17. सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से सम्बद्ध अशासकीय सहायता प्राप्त समस्त संस्कृत महाविद्यालय।
18. सम्बद्ध पत्रावली।

07/10/2025

(राकेश कुमार)
आई॰ए॰एस
कुलसचिव

Scanned with OKEN Scanner